

दिनांक

हुक्म या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
से जारी हुए

31/4/25 प्रभावली पेश हुई। वादी आदि. उप.। प्रतिवादी सं. 1  
 1 लगा. 10 की तलबी हेतु अदालती नोटिस जारी  
 होकर प्रभावली दिनांक 15/4/25 को पेश हो।  
 31/4/25

15/4/25 प्रभावली पेश हुई। वादी आदि. उप.। प्रतिवादी सं.  
 1 लगा. 10 के अदालती नोटिस बाद तामील अडाली  
 पुनः नोटिस जारी हो। प्रभावली वास्तु तलबी दिनांक  
 28/4/25 को पेश हो।  
 15/4/25

28/4/25 प्रभावली पेश हुई। वादी आदि. उप.। प्रतिवादी सं. 1  
 लगा. 10 के अदालती सम्मन बाद तामील अडाली प्रभावली  
 वास्तु तलबी हेतु दिनांक 8/5/25 को पेश हो।  
 28/4/25

8/5/25 प्रभावली पेश हुई। वादी एवं वादी आदि. अनुपस्थित।  
 वादी एवं वादी अधिवक्ता को निजमानुसार तीन बार  
 आवाज लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। वादी  
 एवं वादी अधिवक्ता को नोपपारि में पुनः एक बार  
 आवाज लगाई गई, जबलु कोई उपस्थित नहीं आया।  
 वादी एवं वादी अधिवक्ता के नोपपारि में उपस्थित नहीं आया।  
 आने के कारण वादी मरु उस्तुत बाद अन्तर्गत धारा  
 88, 89, 92 क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
 की अदम एजरी) मदम पैरवी में खारिज किया जाता है।  
 निष्पत्ति से इतलास सुनाया गया। इसी पर्यावरी ही  
 प्रभावली फैसल सुमार देकर काफल  
 दफ्तर ही लमा नम्बर से कम हो।  
 8/5/25

सहायक कलक्टर  
 बीलवाड़ा

सं. 171/2011

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. मजीद पिता गफूर खां पठान जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा वगैरहा

बनाम

वादीगण

1. अब्दुल रशीद मोहम्मद पुत्र फैयाज खां पठान जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा वगैरहा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 171/2011 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री राकेश सुराणा अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 08.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
8/5/25  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा